न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वाद संख्या : 106/12

1. देवकरण पुत्र गोपाल जाति राव निवासी छत्रपुरा तह0 मांगरोल
2. बाबूलाल पुत्र गोपाल जाति राव निवासी छत्रपुरा तह0 मांगरोल
3. विमला पुत्री गोपाल जाति राव निवासी छत्रपुरा तह0 मांगरोल

....वादीगण

♠ बनाम ♠

1. श्यामलाल पुत्र नाथूलाल जाति मीणा निवासी छत्रपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां
2. राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलक्टर बारां (राज0)

....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)
वकील वादी : श्री कर्मवीर शर्मा
वकील प्रतिवादीगण : श्री हरिश राजावत
दायरा दिनांकः 10.07.2012

निर्णय दिनांक : 28.09.2018

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण की संयुक्त खाते व कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नं0 133 रकबा 0.55 है0, खसरा नं0 205 रकबा 0.69 है0, खसरा नं0 268 रकबा 0.01 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.25 है0 वाके माल छत्रपुरा में स्थित है। जिसमें मुताबिक पारिवारिक सेटलमेंट वादीगण खसरा नं0 205 रकबा 0.69 है0 पर गत 25 वर्षो से काबिज काश्त है। और परिवार का पालन कर रहे है। वादीगण की हिस्सा आराजी खसरा नं0 205 रकबा 0.69 है0 को विवादित है। प्रतिवादी नं0 1 से वादी ने आज से 6 वर्ष पूर्व रू0 24000/– पारिवारिक काम के लिये उधार लिये थें, प्रतिवादी नं0 1 ने खाली कागज पर नाम लिखवाया था। जिसकी उधार राशी वादी देने को तैयार है। लेकिन प्रतिवादी नं0 1 रकम नही लेता है, और खेत मकान पर अवैध कब्जा करने की नियत से सारा कृत्य कर रहा है। वादी परिवार के पास पेट पालने का विवादित आराजी के अलावा कोई विकल्प शेष नही है। अतः बजक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी नं0 1 इस आशय की डिक्री जारी की जावें कि प्रतिवादी नं0 1 वादीगण की खाता आराजी खसरा नं0 205 रकबा 0.69 है0 पर किसी भी प्रकार की दखलअंदाजी न करें। ऐसा कार्य न तो स्वयं करें न अपने वैध या अवैध प्रतिनिधियों से करावें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 10.07.2012 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक 07.02.2013 को अधिवक्ता श्री हरीश राजावत ने वकालत नामा प्रस्तुत किया। लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा आजदिनांक तक कोई जवाब दावा प्रस्तुत नही किया गया।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन व मनन किया गया। प्रकरण के संबंध में पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो, प्रदर्शो का अवलोकन किया गया। प्रकरण में दिनांक 28.09.2018 को वकील प्रतिवादी को तीन

रुक कर आवाज दिलाने पर भी अनुपस्थित होने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय अमल में लायी गयी। प्रकरण के संबंध में दिनांक 28.09.2018 को बहस सुनी गयी। वकील द्वारा अपनी बहस में उन्ही तथ्यो का कथन किया गया जिनका उनके द्वारा अपने वादपत्र में अंकन किया गया है। पत्रावली में वकील वादीगण द्वारा निवेदन किया कि प्रतिवादी नं0 1 वादीगण की खाता आराजी खसरा नं0 205 रकबा 0.69 है0 में बदनियति रखता है। अतः प्रतिवादी क्रम 1 को पाबंद किये जाने हेतु निवेदन किया है। पत्रावली में संलग्न जमाबंदी का अवलोकन किया गया ग्राम छत्रपुरा की आराजी खसरा नं0 205 रकबा 0.69 है0 के वादीगण खातेदार कृषक है, एवं प्रतिवादी क्रम 1 से लिये गये उधार रू0 24000 चुकाने हेतु सहमत है। अतः मुताबिक वाद पत्र, शपथ पत्र वादी एवं सुनी गयी बहस की रोशनी में वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है एवं प्रतिवादी क्रम 1 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कर आदेशित किया जाता है कि वादीगण की खाते की आराजी खसरा नं0 205 रकबा 0.69 है0 वाके माल ग्राम छत्रपुरा में वादीगण को शांतीपूर्वक काश्त करने देवे किसी प्रकार की दखलअंदाजी ना तो स्वयं करे और ना ही अपने प्रतिनिधि से करावें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम होकर बाद दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.09.2018 को सरेइजलास मजमेंआम में सुना